<u>उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में।</u>

<u>रिट याचिका (एस/एस) संख्या– 992 2018</u>

अंबिका सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

..... उत्तरदातागण।

उपस्थितः– श्री मंगल सिंह चौहान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री देवेश घिल्डियाल, राज्य/उत्तरदातागण संख्या 1 से 5 की ओर से स्थायी अधिवक्ता।

<u>माननीय सुधांशु धूलिया, जे (मौखिक)</u>

याचिकाकर्ता, जो सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता थे, ने कथित तौर पर उक्त कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रधानाचार्य को गंभीर चोटें आईं। याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसके बाद विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध आईपीसी की धारा 325 और 333 के तहत आरोप विरचित किए गए थे और परिणामस्वरूप विचारण में, याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी ठहराया गया था और एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और उसे आईपीसी की धारा 333 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस दोषसिद्धि और सजा के विरूद्ध, याचिकाकर्ता ने एक दाण्डिक अपील दायर की है जो वर्तमान में दाण्डिक अपील संख्या 301/2014 के रूप में इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। अब वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी है।

यह स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता के मामले में लागू नियम उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 2003 है, जिसमें वर्ष 2010 में उपयुक्त संशोधन किया गया। यद्यपि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जिसमें अनुशासनात्मक

कार्यवाही का संचालन करना शामिल होगा, जहां सुनवाई का पूरा अवसर एक कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, लेकिन संशोधित नियम 7 के उप–नियम (17) के अनुसार, इस प्रक्रिया को छोड़ा जा सकता है और आपराधिक आरोप में दोषी ठहराए जाने के आधार पर किसी व्यक्ति पर एक बड़ी शास्ति लगायी जा सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसे आईपीसी की धारा 325 और 333 के तहत दोषी ठहराया गया है और उपरोक्त दोषसिद्धि पर क्रमशः एक साल और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस दोषसिद्धि के आधार पर, जिसे पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है, याचिकाकर्ता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना बड़ी शास्ति लगायी जा सकती है।

इस न्यायालय के मत में याचिकाकर्ता पर शास्ति लगाने में कोई विसंगति नहीं है। मात्र इसलिए कि याचिकाकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, याचिकाकर्ता को इस स्तर पर कोई लाभ नहीं मिलेगा।

नतीजतन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

हालांकि, इस रिट याचिका को खारिज करने से लंबित दाण्डिक अपील में याचिकाकर्ता के मामले को पूर्वाग्रह नहीं होगा।

(सुधांशु धूलिया, जे.)

22.10.2018

नितेश/